जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति   दिनांक 18.04.2021

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा ग्राम मछरोली में प्रधान पद प्रत्याशी द्वारा खुद के समर्थन में वोट करने के लिए वितरित की जा रही 79 किलोग्राम पेठा मिठाई,107 दर्जन केला व 72 बोतल कोल्डड्रिंक माउंटेनड्यू एवं वितरण में प्रयुक्त स्वराज ट्रैक्टर किया जब्त, अभियोग पंजीकृत:-

जनपद में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता लागू है । जिसके अनुसार चुनाव में प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान किए जाने हेतु मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दे सकता है । दिनांक 17.04.2021 को थाना झिंझाना पुलिस को क्षेत्र के गांव मछरोली में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते कर मिठाई वितरित किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। जिसके क्रम में थाना पुलिस द्वारा गांव मछरोली में तत्काल पहुंच प्रधान पद के प्रत्याशी राजेन्द्र सिंह व उनके समर्थकों द्वारा चुनाव में समर्थन में वोट करने हेतु वोटरों को घर बुला एवं उनके घर जाकर मिठाई वितरित किये जाते हुए पाये गये। जिस पर झिंझाना पुलिस द्वारा छापेमारी कर 79 किलोग्राम पेठा मिठाई, 107 दर्जन केला एवं 72 बोतल कोल्डड्रिंक माउंटेनड्यू एवं वितरण में प्रयुक्त स्वराज ट्रैक्टर बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इस संबंध में थाना झिंझाना पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर राजेन्द्र सिंह एवं उनके समर्थकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। चुनाव की शुचिता एवं पवित्रता बनाए रखने के लिए सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा छापेमारी की कार्यवाही कर ऐसे प्रत्याशियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराए जाएंगे एवं उनके नामांकन निरस्त कराने की भी कार्यवाही कराई जाएगी।

<u>थाना झिंझाना</u>

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 24 घण्टे के भीतर किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त ऑल्टो कार बरामद ।

आज दिनांक 18.04.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 24 घण्टे के भीतर किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त ऑल्टो कार न0 UP-17D/2008 सहित गिरफ्तार करनें में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त का साथी आमिर फरार है। जिसकी गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस द्वारा किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया गया है। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 17.04.2021 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में युवती के परिजन द्वारा थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। युवती की सकुशल बरामदगी एवं अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा थाना प्रभारी झिंझाना को निर्देशित किया गया।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

1. सलमान पुत्र हमीद निवासी ग्राम चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>नाम व पता फरार अभियुक्त-</u>

1. आमिर पुत्र बसात निवासी ग्राम हथछौया थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

1. घटना में प्रयुक्त ऑल्टो कार न0 UP-17D/2008

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री समयपाल सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. हे0का0 हरेन्द्र गिरी थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. का0 दीपक थाना झिंझाना जनपद शामली।
4. म0का0 लक्ष्मी थाना झिंझाना जनपद शामली।